लक्ष्मण अंजलि ढुंडाले व अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

अप्रैल 4, 2007

(एस.बी. सिन्हा व मार्कंडेय काटजू, जे.जे.)

दण्ड संहिता, 1860

एसएस. 302/34 और 498-ए/34- चोटों के कारण एक विवाहित महिला की मृत्यु-मृतका का पति पहले उसके माता-पिता से घर के निर्माण के लिये पैसे की मांग कर रहा था-चिकित्सकीय साक्ष्य में मानव वध का संकेत-मृतका के पति व उसके माता-पिता को विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और सजा सुना गई- उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की पुष्टि की गई-पति के माता-पिता द्वारा अपील की गई- अभिनिर्धारित, कि कोई विश्वसनीय सबूत, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य नहीं हैं कि अपराध करने के लिए सभी अभियुक्त व्यक्तियों के दिमाग की बैठक हुई थी-धारा 34 के तहत आरोप स्थापित नहीं किया गया है-अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया गया है-धारा 34 के घटक समझाये गये।

अभियुक्त संख्या 1, मृतक के पति और उसके माता-पिता अभियुक्त संख्या 2 और 3 पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 और 498-

ए/34 के तहत अभियोजन चलाया गया। अभियोजन का प्रकरण यह था कि अभियुक्त संख्या 1 ने अपनी पत्नी से नये घर के निर्माण के लिये गहनों की मांग की। पत्नी ने अपने माता-पिता को बताया और उन्होंने 5000/- रूपये अभियुक्त को दे दिये और 5000/-रूपये 15 दिन के भीतर देने का कहा। कुछ दिन बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को बताया कि उसका पति उसे शेष राशि प्राप्त करने के लिये प्रताड़ित कर रहा है। अगले दिन पीड़िता के माता-पिता को यह सूचना दी गई कि पीड़िता कुएं में गिर गई है। जब वे गांव पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि पीड़िता कुएं पर पानी निकालने गई थी और दुर्घटनावश फिसलकर कुंए में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई।

विचारण न्यायालय द्वारा सभी तीनों अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और उन्हें आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धी व दण्डादेश को पुष्ट किया गया। अभियुक्त संख्या 1 के माता-पिता, अभियुक्त संख्या 2 और 3 द्वारा हस्तगत अपील की गई।

न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुये यह अभिर्निधारित किया गया कि-

1.1. अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य से एवं अन्य साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मृतका की हत्या की गई थी। शव परीक्षा रिपोर्ट

के अवलोकन से यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक आत्महत्या का मामला था, बल्कि यह एक मानव वध का मामला था। यह इस तथ्य से भी पुष्ट होता है कि स्थान पंचनामा प्रदर्श 25 से पता चलता है कि विचाराधीन कुआं उपयोग में नहीं था, क्योंकि इसमें पानी लाने के लिए बाल्टी, रस्सी या चेन नहीं थी और पर्याप्त पानी भी नहीं था। (पैरा 8) (771- बी)

1.2. हालांकि यह एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और अभियुक्त संख्या 2 और 3 को अपराधों से जोड़ने वाली कड़ियां उचित संदेह से परे स्थापित नहीं की गई हैं। ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि अभियुक्त संख्या 2 और 3 मृतका की मृत्यु का कारण बने या उनका अपने बेटे के साथ मृतका की मृत्यु का कारण बनने का कोई सामान्य आशय था। इस साक्ष्य पर कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त संख्या 1 ने अपने घर की छत बनाने के लिए टिन और लकड़ी की बल्लीयां खरीदने के उद्देश्य से बेचने के लिए अपनी पत्नी से गहने की मांग की थी, लेकिन इससे अपीलार्थियों का अपराध, जो अभियुक्त संख्या 1 के माता-पिता हैं, उचित संदेह से परे साबित नहीं होता है। (पैरा 9) (771-डी-एफ)

2.1. कई व्यक्तियों के सामान्य आशय को स्थापित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 को आकर्षित करने के लिए दो बुनियादी

तथ्यों को स्थापित करना होगा, जो ;पद्ध सामान्य आशय और ;पपद्ध अपराध करने में अभियुक्त की अपराध, भागीदारी। वर्तमान मामले में न तो सामान्य आशय और न ही अपराध करने में अपीलार्थियों की भागीदारी उचित संदेह से परे स्थापित की गई है। इसलिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के तहत आरोप स्थापित नहीं किया गया है। अतः संदेह का लाभ अपीलार्थियों को दिया जाना चाहिए। (पैरा 11, 12 व 13) (772- ई - जी)

हेमलेट बनमा केरल राज्य 2003-10 एससीसी 108, पर निर्भर किया है।

अनिल शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य, 2004-5 एससीसी 679 और महबूब शाह बनाम एम्परर, एआईआर 1945, पीसी 118, संदर्भ दिया गया है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 481/2007

बाॅम्बे उच्च न्यायालय नागपुर पीठ, नागपुर के आपराधिक अपील संख्या 199/2002 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.03.2006 से।

ऋषिकेष बारूह और जगजीत सिंह छाबड़ा, अपीलार्थियों की ओर से।

रविन्द्र केशवराव अड़सुरे, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का यह निर्णय न्यायाधिपति मार्कंडेय काटजू द्वारा किया गया है।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील बाॅम्बे उच्च न्यायालय नागपुर पीठ के आपराधिक अपील संख्या 199/2002 के फैसले व आदेश दिनांक 20.03.2006 के विरूद्ध निर्देशित की गई है।

3. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख का अध्ययन किया गया।

4. अभियोजन का मामला यह है कि मृतका कल्पना का विवाह दिनांक 18.03.2001 को गांव उटी टक्यू जलगांव जामोद में, जो शिकायतकर्ता भास्कर सम्पत दामोदर पी.ड. 1, जो कि मृतका का पिता है, के गांव खेरड़ा खुर्द से 3 किलोमीटर दूरी पर है, अभियुक्त संख्या 1 राजेन्द्र ढुंडले के साथ हुआ था। विवाह के 15 दिनों के भीतर मृतका अपने पति के साथ अपने माता-पिता के घर वापिस आई और उन्हें सूचित किया कि उसका पति अभियुक्त संख्या 1 राजेन्द्र उससे नये घर का निर्माण करने के लिए गहनों की मांग कर रहा है। उसने अपने पिता को कहा कि वह उसके पति को धन दे दे, अन्यथा उसे अपने गहने निस्तारित करने पड़ेंगे। इस पर भास्कर दामोदर पी.ड. 1 ने अभियुक्त संख्या 1 को सूचित किया कि

उसके पास 5000/-रूपये हैं, लेकिन राजेन्द्र ने यह रूपये लेने से मना कर दिया और उसने 10,000/-रूपयों की मांग की। भास्कर दामोदर पी.ड. 1 ने अभियुक्त संख्या 1 राजेन्द्र को 5000/-रूपये दे दिये और शेष 5000/-रूपये 15 दिनों के बाद देने का आश्वासन दिया। इसके बाद, अखाड़ी उत्सव की पूर्व संध्या पर कल्पना का एक भाई उसे अपने माता-पिता के घर ले गया। अगले दिन आरोपी संख्या 1 राजेन्द्र भी उनके गांव में एक शादी में शामिल होने आया और वह उनके साथ तीन दिनों तक रहा। उस अवधि के दौरान कल्पना ने अपने माता-पिता को सूचित किया कि उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा शेष राशि प्राप्त करने के लिए उसे परेशान किया गया है। इस पर भास्कर ने आरोपी संख्या 1 राजेन्द्र को आश्वासन दिया कि वह शेष राशि 5000/-रूपये अपने मवेशियों को बेचने के बाद उसे कल्पना को अपने साथ ले जाने के लिए राजी किया और उसके बाद मृतका अपने पति के साथ चली गई।

5. अगली सुबह, मूल आरोपी संख्या 4 बालू शिकायतकर्ता के घर आया और सूचित किया कि उसकी बेटी एक कुंए में गिर गई है। यह जानकारी मिलने पर शिकायतकर्ता अपने रिश्तेदारों के साथ अभियुक्त व्यक्तियों के गांव गया और उसने पाया कि उसकी पुत्री का शव एक कपड़े से ढका हुआ था एवं उसके चोटें भी लगी हुई थी। शिकायतकर्ता भास्कर पी.ड. 1 ने उसके सिर, पैर और पीठ पर जलने के निशान भी देखे। उसको बताया

गया कि उसकी बेटी पानी लेने के लिए कुएं पर गई थी और वहां वह दुर्घटनावश कुएं में गिर गई। चूंकि भास्कर पी.ड. 1 को संदेह था कि उसकी बेटी की मौत स्वाभावित नहीं थी, इसलिये वह रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जलगांव जामोद पुलिस स्टेशन गया।

6. अपीलार्थी, जो कि अभियुक्त संख्या 1 राजेन्द्र के माता-पिता हैं, इस मामले में अभियुक्त संख्या 2 और 3 हैं। विचारण न्यायालय ने उन्हें अभियुक्त संख्या 1 के साथ अंतर्गत धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी ठहराया है और आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। उन्हें अपराध अंतर्गत धारा 498ए/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी पाया और 3 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माना से भी दण्डित किया गया है।

7. अभियुक्त संख्या 2 और 3 की अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई और इसलिये विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील है।

8. अभिलेख पर चिकित्सीय साक्ष्य के साथ-साथ अन्य साक्ष्यों से हमें यह प्रतीत होता है कि मृतक कल्पना की हत्या की गई थी। शवपरीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी छाती के साथ-साथ पेट में भी चोटें आई हैं। मृतका कल्पना के यकृत में पेट से खून बहने की चोट थी और कठोर या कुंद वस्तु के कारण उसकी खोपड़ी पर एक घाव भी था। इसलिए हम

अपीलार्थियों के विद्वान वकील से सहमत नहीं हो सकते कि वह आत्महत्या का मामला था, बल्कि हमारी राय है कि यह हत्या का मामला था। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पंचनामा स्थल प्रदर्श 25 से पता चलता है कि विचाराधीन कुआं उपयोग में नहीं था, क्योंकि इसमें पानी लाने के लिए बाल्टी, रस्सी या जंजीर भी नहीं थी और पर्याप्त पानी भी नहीं था।

9. हालांकि, यह एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या अभियुक्त संख्या 2 और 3 को मृतका से जोड़ने वाले लिंक की कड़ी को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया गया है। हम इस मत के हैं कि ऐसा नहीं किया गया। यहां ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शित करती हो कि अभियुक्त संख्या 2 और 3 ने मृतका की मृत्यु कारित की हो। यहां ऐसी भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थीगण का अपने पुत्र राजेन्द्र के साथ मृतका कल्पना की मृत्यु कारित करने का कोई सामान्य आशय रहा हो। यहां इस साक्ष्य पर कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त संख्या 1 राजेन्द्र ने अपनी पत्नी कल्पना से घर की छत के निर्माण के लिए टिन और लकड़ी की बल्लीयां खरीदने हेतु बेचने के लिए गहनों की मांग की थी। हालांकि हम इस अपील में अभियुक्त संख्या 1 राजेन्द्र का मामला नहीं देख रहे हैं। हम केवल यह देख रहे हैं कि क्या अपीलार्थीगण, जो कि राजेन्द्र के माता-पिता

हैं, की दोषिता को संदेह से परे साबित किया गया है। हमारी राय में यह नहीं किया गया है।

10. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के आह्वान के संबंध में प्रिवी काउंसिल द्वारा महबूब शाह बनाम सम्राट एआईआर 1945 पी.सी. 118 120 में जो अभिनिर्धारित किया गया था, वह इस प्रकार है:

> "धारा 34 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह दर्शित किया जाना आवश्यक है कि आरोपित आपराधिक कृत्य किसी एक अभियुक्त द्वारा सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया है, अगर यह दर्शित किया जाता है तो ऐसे अपराध के लिए हर एक व्यक्ति इसी अनुसार दायित्वाधीन होगा जैसे कि वह कार्य उस अकेले के द्वारा किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सामान्य आशय से इस धारा के अधीन एक पूर्व नियोजित योजना अभिप्रेत है, और इस धारा के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि ऐसी पूर्व नियोजित योजना के अनुसरण में आपराधिक कृत्य किया गया है। जैसा कि प्रायः देखा गया है, कि यह असंभव तो नहीं परन्तु किसी व्यक्ति विशेष के आशय को साबित किया जाना मुश्किल होता है, अधिकतर

मामलों में अभियुक्त के कार्य या आचरण या मामले की अन्य सुसंगत परिस्थितियों से इसका अनुमान लगाना चाहिए।" (जोर दिया गया)

11. हेमलेट बनाम केरल राज्य 2003-10 एससीसी 108 के पैरा संख्या 17 में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के तहत कई व्यक्तियों के सामान्य आशय को स्थापित करने के लिए, निम्न दो मूलभूत तत्व स्थापित किये जाने चाहिएं, ; सामान्य आशय और ;पपद्ध अभियुक्त की अपराध कारित करने में भागीदारी। हस्तगत मामले में अपीलार्थीगण का न तो सामान्य आशय और न ही अपराध कारित करने में भागीदारी संदेह से परे स्थापित की गई है।

12. इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय ने अनिल शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य, 2004-5 एससीसी 679, पैरा 17 के अनुसार सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी होता है और इसलिए, इस तरह के इरादे का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों से दिखाई देने वाली परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। तथापि, समान आशय के आरोप को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, यह स्थापित करना होगा कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों की उस अपराध को करने की योजना या मस्तिष्क का

मिलान था, जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है।

वर्तमान मामले में कोई विश्वसनीय साक्ष्य, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य नहीं है कि विचाराधीन अपराध को करने के लिए सभी अभियुक्त व्यक्तियों की ऐसी योजना या मस्तिष्क का मिलन था। इसलिए, हमारी राय में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के तहत आरोप स्थापित नहीं किया गया है।

13. ऊपर दिये गये कारणों से हमारी यह राय है कि अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए और इसलिये यह अपील स्वीकार की जाती है। हम इसी अनुसार आदेश देते हैं। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश, जहां तक वे अपीलार्थियों से संबंधित हैं, अपास्त किये जाते हैं। अपीलार्थियों को यदि वे किसी अन्य मामले में वांदित नहीं हों, तुरंत रिहा किया जावे। हालांकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम अभियुक्त संख्या 1 राजेन्द्र के मामले के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजय पुनिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।